



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 193 राँची, बुधवार,

27 अप्रैल, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

9 अप्रैल, 2022

1) संख्या-4/स्था०पद०-02-01/2021 का.-2316--सुश्री सुषमा आनन्द, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री आनन्द को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत राँची जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

2) संख्या-4/स्था०पद०-02-01/2021 का.-2317--श्री अमित कुमार झा, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री झा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत खूँटी जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

3) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2318--श्री सुदीप्त राज, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री राज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गुमला जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

4) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2319--श्री रविन्द्र नाथ ठाकुर, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री ठाकुर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत धनबाद जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

5) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2320--श्री प्रणव ऋतुराज, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गिरिडीह) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री ऋतुराज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गुमला जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

6) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2321--सुश्री स्मृति कुमारी, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गढ़वा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत सिमडेगा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

7) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2322--सुश्री पूजा कुमारी, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत लोहरदगा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

8) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2323--श्री सुमित प्रकाश, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- देवघर) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री प्रकाश को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

9) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2324--सुश्री प्रियंका प्रियदर्शी, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री प्रियदर्शी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत सरायकेला-खरसावां जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

10) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2325--श्री बिजय कुमार महतो, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- कोडरमा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत चतरा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

11) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2326--श्री पारितोष प्रियदर्शी, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- पटना, बिहार) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री प्रियदर्शी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पलामू जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

12) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2327--श्रीमती सत्यबाला सिन्हा, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्रीमती सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बोकारो जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

13) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2328--श्री चन्द्रशेखर कुणाल, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गिरिडीह) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुणाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पलामू जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

14) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2329--सुश्री अदिति गुप्ता, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- रामगढ़) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री गुप्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत हजारीबाग जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

15) संख्या- 4/स्थापद-02-01/2021 का.-2330--श्री गौतम कुमार, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री गौतम कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गुमला जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

16) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2331--श्री अंशु कुमार पाण्डेय, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- चतरा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री पाण्डेय को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत धनबाद जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

17) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2332--सुश्री नूपुर कुमारी, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गुमला) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत दुमका जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

18) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2333--श्री श्रेयांस, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गढ़वा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री श्रेयांस को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत लातेहार जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

19) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.- 2334--श्री धिरज कुमार, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- पलामू) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गिरिडीह जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

20) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.- 2335--श्री विकास कुमार, झाप्रसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गढ़वा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

21) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2336--सुश्री निशात अंजुम, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री अंजुम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गढ़वा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

22) संख्या- 4/स्थापद-02-01/2021 का.-2337--सुश्री निकिता बाला, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- पलामू) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री बाला को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गढ़वा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

23) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.2338--श्री कुमार कनिष्क, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कनिष्क को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बोकारो जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

24) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2339--श्री पवन कुमार, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- रामगढ़) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत लोहरदगा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

25) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2340--सुश्री कोमल कुमारी, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- चतरा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गोड्डा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

26) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2341--श्री आशुतोष, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री आशुतोष को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पाकुड़ जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

27) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.- 2342--श्री हरिनाथ महतो, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत रामगढ़ जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

28) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2343--सुश्री सना उसमानी, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री उसमानी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत कोडरमा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

29) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2344--सुश्री सुधा वर्मा, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- बोकारो) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री वर्मा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत सरायकेला-खरसावां जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

30) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2345--श्री रणवीर कुमार, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गिरिडीह जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

31) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2346--श्री अमित कुमार, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- लोहरदगा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत सिमडेगा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

32) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2347--श्री कपिल देव ठाकुर, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गोड्डा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री ठाकुर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पलामू जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

33) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2348--सुश्री निशा कुमारी, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- पुरुलिया, पश्चिम बंगाल) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

34) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2349--श्री कुमार हर्ष, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- भागलपुर, बिहार) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, प० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री हर्ष को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत प० सिंहभूम जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

35) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2350--श्री विक्रम आनंद, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- नालंदा, बिहार) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री आनंद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पलामू जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

36) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2351--सुश्री रेशमा रेखा मिंज, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गढ़वा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री मिंज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गुमला जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

37) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2352--श्री ईश्वर दयाल कुमार महतो, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- रामगढ़) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत चतरा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

38) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2353--श्री अभय कुमार द्विवेदी, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गढ़वा) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री द्विवेदी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत सरायकेला-खरसावां जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

39) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2354--सुश्री सविता, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- पलामू) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री सविता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत साहेबगंज जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

40) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2355--श्री प्रमोद आनन्द, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- देवघर) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री आनन्द को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत साहेबगंज जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

41) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2356--श्री प्रेम कुमार दास, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गिरिडीह) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री दास को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत साहेबगंज जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

42) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2357--सुश्री आकांक्षा कुमारी, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- लातेहार) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत जामताड़ा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

43) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.- 2358--सुश्री निधि रजवार, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- रामगढ़) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री रजवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गढ़वा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

44) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2359--श्री संग्राम मुर्मू, झांप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- साहेबगंज) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री मुर्मु को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गिरिडीह जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

45) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2360--श्री सुप्रिया भगत, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री भगत को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत देवघर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

46) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2361--श्री प्रशांत डांग, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गुमला) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री डांग को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गिरिडीह जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

47) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2362--श्री रीना कुजूर, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत दुमका जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

48) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2363--श्री मनोज कुमार मराण्डी, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- दुमका) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री मराण्डी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत देवघर जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

49) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2364--श्री ललित कुमार भगत, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गुमला) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, प० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री भगत को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत प० सिंहभूम जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

50) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2365--श्री ओम प्रकाश बड़ाईक, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गुमला) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री बड़ाईक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत कोडरमा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

51) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2366--सुश्री सीमा आईन्द, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- लातेहार) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री आईन्द को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत रामगढ़ जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

52) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2367--श्री अजय कच्छप, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- पश्चिमी सिंहभूम) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कच्छप को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत लातेहार जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

53) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2368--श्री सुदीप एक्का, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री एक्का को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत बोकारो जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

54) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2369--सुश्री कांति रश्मि, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री रश्मि को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पाकुड़ जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

55) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.2370--श्री नवीन भूषण कुल्लू, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गुमला) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुल्लू को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत हजारीबाग जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

56) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2371--श्री निलेश कुमार मुर्मू, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- दुमका) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री मुर्मू को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गढ़वा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

57) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2372--सुश्री मोनिका बास्की, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- दुमका) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री बास्की को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत गोड्डा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

58) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2373--सुश्री दिपाली भगत, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गुमला) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री भगत को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत लातेहार जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

59) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2374--सुश्री सुप्रिया एक्का, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री एक्का को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत दुमका जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

60) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2375--श्री सेवा राम साहु, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- गिरिडीह) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री साहु को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पलामू जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

61) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2376--श्री अभिषेक कुमार, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, प० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत प० सिंहभूम जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

62) संख्या-4/स्थापद-02-01/2021 का.-2377--सुश्री ज्योति कुमारी, झाप्रंसें (षष्ठम बैच, गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. सुश्री कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

2. उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में निर्गत होने वाली अधिसूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C) No(S). 4310/2022, 4443/2022 एवं अन्य समरूपवादों में पारित होने वाले न्यायनिर्णयों से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
